क्रम-संख्या–51 (क–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 23 मार्च, 2023

चैत्र 2, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8

संख्या 409 / आठ-8–2023–04 विविध–2020

लखनऊ, 23 मार्च, 2023

अधिसूचना

प०आ०–108

''उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 53 में वर्णित छूट सम्बन्धी प्राविधान के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2023 के अधीन अर्ह और पंजीकृत तथा कमीशन होने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की दर में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने हेतु राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :–

(1) छूट की सुविधा लेटर ऑफ कम्फर्ट / लेटर ऑफ सैंक्शन प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अनुमन्य होगी।

(2) लाभार्थी द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का संचालन आगामी पाँच वर्षों तक किए जाने की बाध्यता होगी।

(3) खाद्य प्रसंस्करण इकाई को निर्धारित अवधि तक न चलाने तथा अधिसूचना की किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर शूल्क में दी गई छूट की समस्त धनराशि 15 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित वापस करनी होगी, अन्यथा उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भाँति की जाएगी।

(4) उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2023 के अधीन प्रोत्साहन एवं रियायतें प्राप्त करने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा सभी अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक स्वीकृतियाँ स्वयं प्राप्त की जाएगी और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय की गाईडलाइन्स का अनुपालन किया जाएगा। उक्त प्राविधान के उल्लंघन की दशा में सभी प्रोत्साहन एवं छूट निरस्त कर दिए जाएंगे।

(5) खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिए उद्यमी द्वारा स्थल का चयन ऐसे स्थान पर किया जाएगा, जहाँ पर बिजली, सड़क, पानी, सीवर, नाला (ड्रेनेज) आदि बाह्य विकास की सुविधाएं उपलब्ध हैं।''

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 3 राजपत्र–2023–(4)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1 सा0 आवास एवं शहरी नियोजन–2023–(5)–1045 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।